राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.15(1)वित्त/सीएसपीओ/82 पार्ट–I जयपुर, दिनांक : 10-06-2004

परिपत्र संख्या : 13/2004

परिपत्र

भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को वरीयता) नियम, 1995 के नियम 3 (ए) के अनुसार अनुसूची प्रथम में अंकित आईटम्स राजस्थान के कुटीर एवं लघु उद्योगों से ही क्रय किये जाने हेतु आरक्षित हैं । इन नियमों के नियम 6 के अनुसार नियम 3 (बी) में अंकित आईटम्स के संबंध में राजस्थान के उद्योगों को मूल्य वरीयता देने के साथ–साथ वित्त विभाग के आदेश परीपत्र संख्या 2/99 एवं 3/99 दिनांक 30.1.1999 तथा 8/2000 दिनांक 21.3.2000 के अनुसार क्रय वरीयता देने का भी प्रावधान है । राजस्थान के उद्योगों को नियमानुसार मूल्य वरीयता दिये जाने पर भी इनकी दरें राजस्थान से बाहर की इकाइयों की तुलना में अधिक आती हैं तो क्रय की जाने वाली मात्रा का 80 प्रतिशत राजस्थान की औद्योगिक इकाइयों से क्रय किये जाने एवं इस 80 प्रतिशत का 60 प्रतिशत केवल राजस्थान की लघु उद्योग इकाइयों से क्रय किये जाने के निर्देश इन आदेशों में दिये हुए हैं। ये नियम/आदेश राजकीय विभागों के साथ–साथ राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं स्वायत्तशासी निकायों पर भी लागू हैं ।

इन नियमों की कड़ाई से पालना हेतु उद्योग (ग्रुप–2) विभाग के परिपत्र संख्या प.1(1)उद्योग/2/2003 दिनांक 24.2.2003 के द्वारा निर्देश जारी किये जाने के बावजूद शासन के ध्यान में आया है कि राजकीय विभागों, निगमों एवं मण्डलों द्वारा किन्हीं मामलों में इनकी पूर्ण रूप से पालना नहीं की जा रही है। नियमों की इस अवहेलना को राज्य सरकार अत्यन्त गंभीर मानती है।

........2

राज्य के विकास में उद्योगों के महत्त्व को देखते हुए नीतिगत निर्णय के अनुसरण में जारी किये गये नियमों/निर्देशों की पालना का दायित्व प्रत्येक संबंधित अधिकारी का है । अतः शासन द्वारा सभी संबंधित सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि इन नियमों/निर्देशों की कड़ाई से पालना की जाये । नियमों की अवहेलना को गम्भीर वित्तीय अनियमितता माना जायेगा जिसके लिये राजकीय विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं स्वायत्तशासी निकायों के सक्षम क्रय अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

(आर.के.नायर)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधिनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव।
2. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत्तशासी संस्थाएं।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
4. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव ।
6. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग
7. समस्त कोषाधिकारी
8. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर (25 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
2. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
6. पंजीयक,राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर ।

8/6/2004

(डॉ गोविन्द शर्मा)
शासन सचिव वित्त (मार्गोपाय)

राजस्थान–सरकार
उद्योग (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.1(1)उद्योग/2/2003 जयपुर, दिनांक : 19 अगस्त, 2011

परिपत्र

विषय : राजस्थान के उद्योगों को क्रय वरियता दिये जाने के संबंध में ।

राजस्थान के उद्योगों को क्रय वरियता दिये जाने के संबंध में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को वरियता) नियम, 1995 प्रचलित किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत जिन आईटमों का उल्लेख परिशिष्ठ प्रथम में किया गया है, का क्रय प्रदेश की सूक्ष्म, लघु उद्योग इकाईयों से ही किये जाने का प्रावधान है । ऐसा ध्यान में लाया गया है कि इस संबंध में पूर्व में जारी परिपत्र संख्या 13/2004 दिनांक 10.6.2004 द्वारा जारी दिशा निर्देशों की राजकीय विभागों के साथ–साथ राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशाषी निकायों एवं निगमों द्वारा पूर्ण पालना नहीं की जा रही है । इस प्रकार की कार्यवाही नियमों का उल्लंघन तो है ही साथ ही सूक्ष्म, लघु उद्योगों को विपणन प्रोत्साहन दिये जाने की राजकीय नीति के सर्वथा विपरीत है। इससे राजकीय क्रय कार्यक्रम में राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के हित प्रभावित होते हैं।

राज्य के विकास में उद्योगों के महत्व को देखते हुए सभी सक्षम क्रय अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि परिपत्र संख्या 13/2004 दिनांक 10.6.2004 की कड़ाई से पालना की जावे । भण्डार क्रय नियम 1995 व समय–समय पर जारी परिपत्रों की अवहेलना को गंभीर वित्तीय अनियमितता माना जावेगा, जिसके लिए राजकीय विभागों /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशाषी निकायों एवं निगमों के सक्षम क्रय अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे ।

(एस अहमद)
मुख्य सचिव

कृ.प.उ.

क्रमांक : प.1(1)उद्योग / 2 / 2003 जयपुर, दिनांक : 19 अगस्त, 2011

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1 निजी सचिव, राज्यपाल / मुख्यमंत्री / समस्त मंत्रीगण।
2 निजी सचिव, मुख्य सचिव / समस्त प्रमुख शासन सचिव / समस्त शासन सचिव।
3 सचिव, राजस्थान विद्यान सभा, जयपुर।
4 सचिव, लोकायुक्त, सचिवालय, जयपुर।
5 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6 समस्त शासन सचिव / उप शासन सचिव।
7 प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परिक्षा) राज. जयपुर।
8 महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
9 समस्त संभागीय आयुक्त / विभागाध्यक्ष / जिला कलक्टर।
10 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, सार्वजनिक उपक्रम / स्वायत्तशाषी संस्थाऐं / डेयरी फैडरेशन / निगम ।
11 समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी।
12 पंजीयक राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर।
13 निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राज. जयपुर।
14 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन)अतिरिक्त प्रति सहित ।
15 पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

प्रमुख शासन सचिव, उद्योग